न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम--6, जयपुर महानगर।

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार, आर.जे.एस.

आपराधिक प्रकरण संख्या : 488/2014

सरकार

बनाम

अरूप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राकेश चंद अग्रवाल, जाति वैश्य, निवासी प्लाट नं 39, लक्ष्मी नगर पताशा फैक्ट्री के पास सी ब्लॉक, गोनेर रोड, थाना खो नागोरियान, जयपुर। हाल-- दुकान अग्रवाल मोबाईल.

..... अभियुक्त।

अपराध अन्तर्गत धारा 51, 63, 63बी, व 65 कॉपीराईट एक्ट

उपस्थितः
सहायक लोक अभियोजक वास्ते सरकार।
श्री एस.एल. वाडिया एडवोकेट वास्ते अभियुक्त।

:: निर्णय :: दिनांकः 30.03.2015

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी बाबूलाल विश्नोई थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर ने दिनांक 5.3.14 को एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 5.3.14 को समय 10.30एएम पर इमरान खान एन्टी पायरेसी अधिकारी सुपर कैसेटस इण्डस्ट्रीज लि. नोएडा(यूपी) ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित प्रार्थना--पत्र पेश किया कि अग्रवाल मोबाईल खानिया बंधा आगरा रोड दुकान का मालिक उनकी कम्पनी के गाने बिना उनकी कम्पनी के अधिकार पत्र व इजाजत के मैमोरी कार्ड आदि में कम्प्यूटर की (लेपटॉप) की सहायता से ग्राहकों को डाउनलोड कर व्यवसाय कर रहा है जिससे उनकी कम्पनी को नुकसान हो रहा है। इस सूचना पर जांच व कार्यवाही हेतु वह मय कानि. दुब्बेराम, गजानंद मय जीप सरकारी चालक सुनील कुमार तथा इमरान खान एन्टी पायरेसी अधिकारी सुपर कैसेटस इण्डस्ट्रीज लि के रवाना हुए। 10.45 एम पर

30/3/15
अतिरिक्त मुख्य महानगर
क्रम-6, जयपुर महानगर

सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जजेज, सीजेएम/एसीजेएम कोर्टस

खानियॉ बंध पहुच कर दुकान अग्रवाल मोबाईल से थोडा दूरी पर पहले एक कानि. दुब्बेराम जो कि सादा वस्त्रों में को 4 जीबी का खाली मेमोरी कार्ड सीएसी माइक्रो फरवरी/14 व 50 रूपये का नम्बरी 9सीबी 735232 नोट दिया जाकर अग्रवाल मोबाईल की दुकान पर पहुच कर गाने भरवाने व कार्य पूर्ण होने पर सिर पर हाथ फेर कर ईशारा देने की हिदायत कर रवाना किया गया। जिस पर कानि. दुब्बेराम द्वारा समय 10.55 एएम पर सिर पर हाथ फेरकर ईशारा देने पर तुरन्त मय हमराही शेष जाप्ता दुकान अग्रवाल मोबाईल पर पहुचे। जहॉ दुकान में एक व्यक्ति लेपटॉप की मदद से गाने डाउन लोड करता मिला। उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो नाम अरूण कुमार अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल निवासी 39 लक्ष्मी नगर पतासा फैक्ट्री के पास गोनेर रोड व दुकान अग्रवाल मोबाईल खानिया बंधा का मालिक होना बताया। उस शक्स को सूचना से अवगत कराकर दुकान में मौजूद ग्राहकों को गवाह बनने के लिये कहा लेकिन मौजूद ग्राहकों ने गवाह बनने से इन्कार कर दिया। जिस पर नियमानुसार तलाशी दी। अरूण कुमार अग्रवाल के पास टेबिल पर रखे लेपटॉप को चेक किया तो लेपटॉप में जो कानि. दुब्बेराम द्वारा दुकानदार को गाने भरवाने के लिये दिया था लगा हुआ रिकार्ड होता हुआ मिला। दुकानदार के हाथ में एक नोट नम्बरी मिला। लेपटॉप को चेक करने पर लेपटॉप में माय–कम्प्यूटर को खोलने पर सन ऑफ सरदार, यमला पगला दिवाना, कॉकटेल, रानी तू मै राजा, देशी बॉयल आदि के गाने मिले। जिसका कॉपीराईट सुपर कैसेटस के पास होना इमरान ने बताया। अरूण कुमार अग्रवाल से उक्त फिल्मों के गानों को डायन लोड करने बाबत अनुज्ञा पत्र या अधिकार पत्र मांगा तो नहीं होना बताया और ना ही पेश किया। इस प्रकार शख्स अरूण कुमार अग्रवाल द्वारा सुपर कैसेटस इण्ड लि. के कॉपी राईट्स अधिकारों का उल्लघंन कर ग्राहकों को गानों को डाउनलोड कर व्यवसाय करना जुर्म धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपी राईट एक्ट के तहत दण्डनयी अपराध पाये जाने पर जरिये फर्द लेपटॉप, एक चार्जर, मेमोरी कार्ड, 50 रूपये का नम्बरी नोट आदि जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया तथा आर्टिकलों को शील्ड मोहर किया। मुल्जिम अरूण कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात मय हमराजो जाब्त जीप सरकारी चालक गिरफ्तारशुदा मुल्जिम अरूण कुमार अग्रवाल व जप्त शुदा सामान शील्ड पैकिट के मौके से रवाना होकर हाजिर थाना आये ..आदि । इस पर पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर शहर में अभियोग संख्या 57/2014 अन्तर्गत धारा 51, 63, 63बी, 65 भारतीय कॉपीराईट एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्त

30/3/15

सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
(प्रतिलिपि शाखा)
जजेज, सीजेएम/एसीजेएम कोर्टस

के विरूद्ध धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियुक्त के द्वारा आरोप से इन्कार किये जाने पर अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.1 इमरान खॉ के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजात प्रर्श पी–1 लिखित सूचना, प्रदर्श पी–2 व 3 ऑथोरेटी लेटर, प्रदर्श पी 4 लगायत प्रदर्श पी 6 कम्पनी के कापीराईटस की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी–7 फर्द जब्ती प्रदर्शित कराये। इस स्टेज पर अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर लोक अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पृथक से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर सहायक लोक अभियोजक द्वारा साक्ष्य अभियोजन समाप्ती की घोषणा की गई। अभियोजन साक्ष्य समाप्ती उपरान्त अभियुक्त के बयान मुलजिम लिये गये, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी के कथनो को सही होना बताते हुए स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किये जाने का कथन कर अपनी गलती के लिए माफी चाही एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्षी के कथनो एवं स्वयं अभियुक्त द्वारा की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित हैं, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

30/3/15

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
क्रम-6, जयपुर महानगर

जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से विरोध करते हुए बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्त के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वैच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित

सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

अपराध में परिवीक्षा का लाभ देते हुए परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

मैने विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के सुसंगत निरतारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है, कि -- "क्या दिनांक 05.03.2014 को समय 10.45 एएम पर परिवादी बाबूलाल बिश्नोई पुलिस निरीक्षक द्वारा एन्टी पायरेसी अधिकारी इमरान खान की लिखित सूचना पर मय जाब्ता व मय इमरान खान आपकी दुकान अग्रवाल मोबाईल खानिया बंधा, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर में नियमानुसार चैकिंग की गई तो आपके द्वारा सुपर कैसेट्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बिना अधिकार पत्र व बिना ईजाजत के मैमोरी कार्ड में कम्प्यूटर लेपटॉप की सहायता से गाने डाउन लोड करने पर आपके कब्जे से एक लेपटॉप, एक चार्जर लीड, एक कॉडरीडर व मैमोरी कार्ड बरामद किये गये। उक्त लेपटॉप में विभिन्न फिल्मों के गाने डायनलोड करने के लिये सेव कर रखे थे जिन्हें अपने लैपटॉप में रखने बाबत प्रोडयूसर की ओर से दिया गया कोई प्रमाण पत्र या इस प्रकार से लैपटॉप के माध्यम से गाने डाउनलोड करने बाबत कोई सेंसर द्वारा जारीशुदा लाईसेंस आपके पास नहीं पाया गया तथा आपके द्वारा सुपर कैसेटस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बिना अधिकार पत्र व बिना ईजाजत के मैमोरी कार्ड में कम्प्यूटर/लेपटॉप की सहायता से गाने डाउनलोड करना प्रतिलिप्याधिकार का उल्लघंन जानते हुए बिना किसी अधिकारी पत्र के लेपटॉप के माध्यम से मैमोरी कार्ड आदि में गाने डाउनलोड किये तथा कम्प्यूटर/लेपटॉप में विभिन्न गाने सेव कर अपने कब्जे में रखते हुए तथा यह जानते हुए कि उक्त गानों का प्रतिलिप्याधिकार सुपर कैसेटस के पास है उक्त गानों को लेपटॉप के माध्यम से मैमोरी कार्ड आदि में डाउनलोड कर अतिलंघनकारी प्रतियॉ तैयार की?

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु हेतु साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में परीक्षित करवाये गये साक्षी पी.डब्ल्यु 1 गवाह पी.डब्ल्यु 1 इमरान खान ने बयान दिया कि दिनांक 5.3.14 की बात है। वह सुपर कैसेट इण्ड. लि. में एन्टी पायरेसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन अग्रवाल मोबाईल खानिया बंधा पर सर्वे के दौरान उसने पाया कि दुकान का मालिक अरूण अग्रवाल उनकी कम्पनी के गाने बिना अधिकार पत्र डाउनलोड कर रहा था जो कि मैमोरी कार्ड में लेपटॉप की मदद से कर रहा था। जिससे उनकी कम्पनी के व्यवसाय में नुकसान हो रहा था जिसकी रिपोर्ट थाने में प्रदर्श पी 1 दी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कम्पनी के द्वारा एन्टी पायरेसी पद पर ऑथोरेटी लेटर प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है एवं प्रदर्श पी--3 पर ए

30/3/15
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर

सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक

से बी उसके हस्ताक्षर हैं। कम्पनी के कॉपीराईट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4 प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी–6 है जिन पर ए से बी उसके ए से बी हस्ताक्षर है। उसने थाने पर रिपोर्ट करने पर पुलिस पुलिस के साथ मौके पर अरूण अग्रवाल की दुकान पर गया था। पुलिस वालों ने एक कास्टेबल को सादा कपड़ा में 50 रूपये का नोट देकर 4 जीबी का मैमोरी कार्ड गाने डाउनलोड करने हेतु भेजा व सिर पर हाथ रखकर ईशारा करने के लिये कहा। ईशारा करने पर हम सभी दुकान पर गये। जहॉ एक व्यक्ति ने लेपटॉप की सहायता से गाने डाउनलोड करते हुए मिला। जिसने अपने आप को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान की तलाशी ली तो दुकान से लेपटॉप चार्जर, 4जीबी का माइक्रो एसडी कार्ड, कार्ड रीडर, एक 50 रूपये का नोट नम्बरी नोट जो कास्टेबल को देकर भेजा, को जब्त किया। लेपटॉप के माथकम्प्यूटर को खोलने पर सन आफॅ सरदार, कॉकटेल, देशी बायज के गाना डाउन लोड मिले। इसका उनके पास कोई अधिकार पत्र नहीं होना बताया। मौके पर सामान को पुलिसवालों ने सील मोहर किया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 7 है जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह के कथनों से रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी के कथनो से अभियोजन कहानी की ताईद हुई है। इसके अतिरिक्त स्वयं अभियुक्त के द्वारा भी स्वैच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व स्वयं अभियुक्त के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप अभियुक्त अरूण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राकेश चंद अग्रवाल, जाति वैश्य, निवासी प्लाट नं 39, लक्ष्मी नगर पताशा फैक्ट्री के पास सी ब्लॉक, गोनेर रोड, थाना खो नागोरियान, जयपुर को आरोपित अपराध धारां 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

30/3/15
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
क्रम-6, जयपुर महानगर
(राजेश कुमार)

सत्यमेव जयते
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक

सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान वकील अभियुक्त का तर्क रहा हैं कि अभियुक्त के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी भी नहीं रही हैं। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया। एपीपी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है एवं मौजूदा प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा स्वैच्छयापूर्वक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर उसे परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का फायदा देते हुए परिवीक्षा पर छोड़ा जाना एवं साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

परिणामस्वरूप अभियुक्तअरूण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राकेश चंद अग्रवाल, जाति वैश्य, निवासी प्लाट नं 39, लक्ष्मी नगर पताशा फैक्ट्री के पास सी ब्लॉक, गोनेर रोड, थाना खो नागोरियान, जयपुर को आरोपित अपराध धारा 51, 63, 63बी, 65 कॉपीराईट एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि यदि अभियुक्त धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के तहत पॉच हजार रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का एक जमानतनामा इस न्यायालय के सन्तोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करवा दें कि वह आगामी एक वर्ष की समयावधि में परिशान्ती एवं सदाचरण बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित आयेगा एवं साथ ही यदि अभियुक्त द्वारा धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय की राशि 2000/–रूपये जमा करवा दी जावे, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। माननीय राजस्थान उच्च

30/3/15

सत्यमेव जयते
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक